WHO–IRCH अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

चर्चा में क्यों?

आयुष मंत्रालय के भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी फार्माकोपिया आयोग (PCIM&H) ने गाज़ियाबाद स्थित अपने मुख्यालय में "**हर्बल औषधियों की सुरक्षा और विनियमन**" (कार्य समूह-1) तथा "**हर्बल औषधियों की प्रभावकारिता** तथा **इच्छित उपयोग**" (कार्य समूह-3) पर WHO–हर्बल औषधियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग (IRCH) कार्यशालाओं के उद्घाटन सत्र की मेज़बानी की।

- कार्य समूह 1 और 3 के लिये अग्रणी देश के रूप में भारत, **WHO–IRCH** मंच के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय **नियामक सहयोग** को मज़बूत करने के लिये प्रतिबद्ध है।

मुख्य बिंदु

- **कार्यशाला के बारे में:**
  - आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह वैश्विक तकनीकी कार्यशाला 6 से 8 अगस्त 2025 तक आयोजित हुई, जिसमें **WHO** के सदस्य देशों, **नियामक प्राधिकरणों**, **शिक्षाविदों**, **अनुसंधान निकायों** और हर्बल औषधि उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
  - इसका उद्देश्य **नियामक अभिसरण**, **गुणवत्ता आश्वासन** और स्वास्थ्य देखभाल की **पारंपरिक प्रणालियों** में **हर्बल औषधियों** की निदानिक प्रासंगिकता जैसे प्रमुख पहलुओं पर विचार-विमर्श करना था।
  - एजेंडा में हर्बल औषधि **मानकीकरण तकनीकों** जैसे **फार्माकोग्नोस्टिक**, **रासायनिक** और **तत्त्व विश्लेषण** में व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र शामिल थे।
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को **नैदानिक**, **शैक्षणिक** और **विनिर्माण पद्धतियों** का प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिये प्रमुख **आयुष संस्थानों** का दौरा भी कराया गया।
  - कार्यशालाओं में **WHO–IRCH** के अंतर्गत कई देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें पोलैंड, **नेपाल**, **भूटान**, ब्रुनेई दारुस्सलाम, **जापान**, **इंडोनेशिया**, **श्रीलंका**, पैराग्वे आदि शामिल हैं।

भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिये फार्माकोपिया आयोग (PCIM&H)

- **PCIM&H**, **आयुष मंत्रालय**, भारत सरकार के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है।
- फार्माकोपिया और फार्मूलरी का विकास तथा भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी प्रणालियों के लिये केंद्रीय **औषधि परीक्षण सह अपीलीय प्रयोगशाला** के रूप में कार्य करना इसके प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं।

हर्बल औषधियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग (IRCH)

- **IRCH** की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। यह हर्बल औषधियों के विनियमन के लिये ज़िम्मेदार **नियामक प्राधिकरणों** का एक वैश्विक नेटवर्क है।
- **मिशन:**
  - WHO की सिफारिशों में सहायता हेतु **सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान और सहयोग**।
  - हर्बल औषधियों के **सुरक्षित उपयोग** के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण में इनके योगदान को प्रोत्साहित करना।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/up-1280